

# ग्रामीण सेवा शिविर-2025


प्रपत्र-8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प पत्तोत्तिया

—: आदेश :-


प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पत्तोत्तिया  
व भू.अ.नि. गिल्लुड की रिपोर्ट तथा पुप तहसीलदार ...../नायब  
तहसीलदार गिल्लुड की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम पत्तोत्तिया तहसील रेलमगरा  
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 248, 454, 453,  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	पत्तोत्तिया	248 454 453 247	पुपुलाल पुग काजुराम जाति खाती सा.रेड	पुपुलाल पुग काजुराम जाति सुवार सा.रेड

  
पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, .....  
रेलमगरा  
दिनांक :- 29/9/25

क्रमांक:-/राजस्व/2025/19  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार गिल्लुड को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट गिजवावे।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

  
सहायक कलक्टर  
(उप खण्ड अधिकारी)  
उपखण्ड अधिकारी सहायक कलक्टर, .....